



IN THE COURT OF
Cjsd FTC/ACJM
AT ,Mainpuri
(Presided Over by ANSHIKA LAL)

Bail Application/1542/2026

राज्य बनाम धर्मेन्द्र आदि।
वाद सं०- 1926/2024
जमानत प्रार्थना पत्र

अ० सं०- 253/2018
धारा - 323,504 IPC
थाना - दन्नाहार ,जिला - मैनपुरी

दिनांक – 17.03.2026

1. अभियुक्तगण देवेन्द्र, धर्मेन्द्र, जसकरन एवं सूरज, अ० सं०- 41/2026, अ०धारा - 323,504 IPC, थाना दन्नाहार, मैनपुरी के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये है।
2. जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्तगण को उपरोक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने तथाकथित अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण के खिलाफ कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। प्रार्थीगण अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।
3. सहायक अभियोजन अधिकारी की आख्या का अवलोकन किया गया।
4. सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।
5. प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्तगण द्वारा स्वयं न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। उक्त कारित अपराध अधिकतम सात साल के कारावास से दण्डनीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने हेतु आधार पर्याप्त है।
6. अतः अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा 25000 - 25000/- रुपये का बंधपत्र एवं इसी राशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाता है।

(अंशिका लाल)
J.O. Code- UP3271
सिविल जज (प्रवर वर्ग)/
एफ.टी.सी., मैनपुरी